न्यायालय : विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन0आई0 एक्ट प्रकरण, क्रम 05, जयपुर महानगर, द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : तेजकिरन कौर चावला, आर.जे.एस.

नियमित फौज. प्रकरण सं. : 406/2016

सी.आई.एस. नम्बर : 104975/2020

श्री दलीप सिंह गिल पुत्र श्री दानसिंह गिल निवासी डी–35, जगन पथ, चौमू हाउस, सी–स्कीम, जयपुर।

. . . . **परिवादी**

बनाम

हेमंत कुमार पुत्र श्री रामजीलाल निवासी शिव शक्ति बाड़ी, खोले के हनुमान जी के सामने, दिल्ली रोड, रामगढ़ मोड़, जयपुर

. . . . **अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 138 Negotiable Instruments Act,1881 (एन. आई. एक्ट)

Date of dishonour of cheque in question	17-09-2014
Legal Notice sent on	08-10-2014
Date of presentation of complaint in Court	15-11-2014
Date of taking cognizance	15-11-2014
Substance of Accusation	12-08-2021
Complainant’s Evidence recorded on	16-04-2022, 14-07-2022, 03-10-2025
Statement u/s 313 Cr.P.C. recorded on	26-11-2025
Defence Evidence recorded on	07-03-2026
Defence Evidence closed on	07-03-2026
Final Arguments of Complainant Heard on	15-01-2026
Final Arguments of Accused Heard on	16-03-2026
Rebuttal Arguments of Complainant Heard on	28-04-2026

Date of Judgment	29-04-2026
Decision	Conviction

उपस्थित :–

1. श्री नेम सिंह राठौड़, भूपेंद्र सिंह, प्रतिमा सोनी, विद्वान अधिवक्तागण परिवादी की ओर से।

2. श्री मो. अकबर, सरफराज कुरैशी, विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक – 29.04.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से आपसी जान पहचान होने के कारण 3,50,000 रुपये नकद उधार जिलए थे, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त ने एक चैक संख्या 025140 तादादी राशि 3,50,000 रुपये बैंक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मानसरोवर, जयपुर दिनांकित 15.09.2014 का मय हस्ताक्षर एवं पूर्ण आश्वासन देते हुए दिया था कि उक्त चैक को बैंक में लगा देने पर उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को प्राप्त हो जावेगा। उक्त चैक को अभियुक्त के कहे अनुसार परिवादी ने अपनी बैंक आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा सी–स्कीम, जयपुर में समाशोधन हेतु लगाया तो उक्त चैक दिनांक 17.09.2014 को फण्ड्स इनसफिशियेन्ट से रिमार्क होकर डिसओनर मीमो के साथ बिना भुगतान उक्त चैक परिवादी के पास वापस लौट आया। इसके बाद परिवादी ने जरिए अधिवक्ता एक विधिक नोटिस दिनांक 08.10.2014 को अभियुक्त को उसके सही पते पर भिजवाया तो अभियुक्त को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभियुक्त ने उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया, ना ही उक्त नोटिस का कोई जवाब दिया, इत्यादि तथ्यों का परिवाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा बाद जांच अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एनआई एक्ट के अपराध का प्रथम दृष्ट्या बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर

प्रकरण फौजदारी नम्बरी के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त को धारा 138 एनआई एक्ट के अपराध का आरोप सारांश पृथक से विरचति कर कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में परिवादी पी.डब्ल्य.1 दलीप सिंह को परीक्षित करवाया गया।

4. परिवादी पी.डब्ल्यू.1 दलीप सिंह द्वारा निम्नलिखत दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए:–

Exhibit No.	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
प्रदर्श पी–01	असल चैक	पी.डब्ल्यू–01
प्रदर्श पी–02	असल चैक रिटर्न मीमो	पी.डब्ल्यू–01
प्रदर्श पी–03	विधिक नोटिस	पी.डब्ल्यू–01
प्रदर्श पी–04	रजिस्ट्री रसीद	पी.डब्ल्यू–01
प्रदर्श पी–05	असल पावती रसीद	पी.डब्ल्यू–01
प्रदर्श पी–06	अभियुक्त के मुचलके दिनांकित 12.06.2021	पी.डब्ल्यू–01
प्रदर्श पी–07	अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा	पी.डब्ल्यू–01
प्रदर्श पी–08	बयान मुल्जिम	पी.डब्ल्यू–01
प्रदर्श पी–09	आरोप सारांश	पी.डब्ल्यू–01

5. साक्ष्य परिवादी समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया। अभियुक्त ने परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह के कथनों को गलत बताते हुए कथन किया कि ''विवादित

चैक मेरा ही है, चैक पर सिग्नेचर नहीं है। मैंने परिवादी से 3,50,000 रुपये उधार नहीं लिए। मैंने दलीप सिंह गिल को अपनी आई–20 कार बेची थी। यह चैक उस कार में था। दलीप सिंह ने कार से चैक ले लिया। मैंने वापिस मांगा नहीं दिया। फिर चैक में सिग्नेचर्स फर्जी करके, चैक भरकर लगा दिया। ''

6ण अभियुक्त द्वारा अपनी साक्ष्य सफाई में स्वयं को बतौर डी.डब्ल्यू–01 परीक्षित करवाया गया।

7ण उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

1– क्या अभियुक्त ने परिवादी से उधार ली गई राशि के भुगतान पेटे विवादित चैक संख्या 025140, दिनांकित 15.09.2014 तादादी राशि 3,50,000 रुपये बैंक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मानसरोवर, जयपुर का परिवादी को दिया जो परिवादी द्वारा अपने बैंक में भुगतान प्राप्ति हेतु चैक की वैधता अवधि के दौरान प्रस्तुत करने पर अभियुक्त की बैंक द्वारा दिनांक 17.09.2014 को ''Funds Insufficient'' के रिमार्क के साथ अनादरित होकर लौटा, जिस पर चैक अनादरण की सूचना देने व चैक राशि की मांग करने हेतु परिवादी द्वारा नोटिस दिनांक 08.10.2014 को अभियुक्त को प्रेषित करवाया जो अभियुक्त को प्राप्त होने के बावजूद भी अन्दर मियाद 15 दिवस के चैक राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करने पर परिवादी द्वारा परिवाद हेतुक उत्पन्न होने से एक माह की अवधि के भीतर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2– यदि हॉ, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दंडित किया जाये ?

8. उभय पक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। परिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

9ण दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने विभिन्न तर्कों को उठाकर

अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होना जाहिर करते हुए, अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

10. उभय पक्ष के बहस तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया। प्रासंगित विधि का अध्ययन किया गया।

11. प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट, 1881 को साबित किए जाने हेतु सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया जाना है कि–

(A) क्या एन.आई. एक्ट की धारा 118 एवं 139 के तहत उपधारणाओं का सृजन परिवादी के पक्ष में हुआ है?

12. इस प्रश्न के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि चैक प्रदर्श पी–01 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। परिवादी ने अभियुक्त के चैक पर फर्जी हस्ताक्षर करके चैक प्रदर्श पी–01 का दुरुपयोग किया है।

13. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उठाए गए उक्त तर्क के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने पर इस न्यायालय को यह प्रकट होता है कि **परिवादी पी0डब्ल्यू–01 दलीप सिंह मुख्य परीक्षा** के दौरान सशपथ कथन करता है कि प्रदर्श पी–01 असल चैक नम्बर 025140, दिनांकित 15.09.2014 है जिस पर ए से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं।

14. **जिरह के दौरान परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह** कथन करता है कि जब अभियुक्त ने उसे चैक दिया था तब चैक भरा हुआ था और हस्ताक्षर उसके सामने किए थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्त ने खाली चैक पर हस्ताक्षर करके किए हों और बकाया इबारत बाद में भरी गई हो।

15. **दूसरी ओर अभियुक्त डी.डब्ल्यू–01 हेमंत कुमार** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दलीप सिंह ने चैक का दुरुपयोग किया है। चैक पर उसने कोई साइन नहीं किए हैं। दलीप सिंह ने उसके उपर झूठा मुकदमा किया है। जिरह के दौरान अभियुक्त डी.डब्ल्यू–01 हेमंत कुमार परिवादी के अधिवक्ता के इस सुझाव को गलत बताता है कि प्रदर्श पी–01 के ए से बी भाग पर साइन उसके हों।

16. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Ajitsinh Chehuji Rathod vs. State Of Gujarat And Anr, 2024 LiveLaw (SC) 64 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

> "16. Thus, we are of the view that if at all, the appellant was desirous of proving that the signatures as appearing on the cheque issued from his account were not genuine, then he could have procured a certified copy of his specimen signatures from the Bank and a request could have been made to summon the concerned Bank official in defence for giving evidence regarding the genuineness or otherwise of the signature on the cheque."

17. इसके अतिरिक्त यह स्थापित विधिक स्थिति है कि "indorsements on a cheque carry a presumption of genuineness as per section 118 (e) of The Negotiable Instruments Act and, therefore, it is incumbent upon the accused to lead evidence to rebut the presumption of genuineness of signatures."

18. पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से न्यायालय को प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45, 73 साक्ष्य अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में अभियुक्त का यह कथन रहा था कि अभियुक्त ने परिवादी से डेढ़ लाख रुपये की राशि उधार ली थी जिसके पेटे उक्त विवादित चैक मात्र हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया गया था।

19. इसके अलावा अभियुक्त के चैक प्रदर्श पी–01 पर परिवादी ने अभियुक्त के फर्जी हस्ताक्षर करके चैक का दुरुपयोग किया हो तो इस संदर्भ में अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा भी कोई तथ्य अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं दर्शाया गया है। प्रदर्श पी–01 के ए से बी भाग पर अंकित हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं हो इस तथ्य को साबित करने हेतु अभियुक्त की ओर से कोई पुख्ता सबूत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं।

20. उपर्युक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय पाता है कि अभियुक्त पक्ष का तर्क कि *चैक प्रदर्श पी–01 के ए से बी भाग पर अंकित हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं हैं,* एक आफट्र थॉट तर्क है, जिसे अभियुक्त पक्ष साबित करने में असफल रहा है।

21. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय की विनम्र राय में परिवादी प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–01 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर साबित करने में सफल रहा है। इसलिए एन.आई.एक्ट की धारा 118 के तहत प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–1 प्रतिफलार्थ अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रदत्त किये जाने की उपधारणा तथा परिवादी के सम्यक अनुक्रम के प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–1 के धारक होने की उपधारणा तथा एन.आई.एक्ट की धारा 139 के तहत प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–1 धारा 138 एन.आई. एक्ट के निर्दिष्ट किसी ऋण या अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिये जाने की उपधारणा परिवादी के पक्ष में सृजित की जाती है।

(B) अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या परिवादी द्वारा धारा 138, 142 एन.आई. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ति की गई है ?

22. उक्त प्रश्न के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि परिवादी **पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह मुख्य परीक्षा** में कथन करता है कि विवादित चैक को अभियुक्त के कहेअनुसार उसने अपने बैंक आई.डी.बी.आई. बैंक लि. शाखा सी–स्कीम, जयपुर में समाशोधन हेतु लगाया तो दिनांक 17.09.2014 को **फण्ड्स इनसफिशियेन्ट** के रिमार्क के साथ डिसऑनर हो गया और परिवादी के पास विवादित चैक वापिस लौट आया। अपने उक्त कथनों के

समर्थन में पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह गिल द्वारा प्रदर्श पी–02 रिटर्न मीमो न्यायालय में प्रदर्शित करवाया गया है।

23. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि *प्रदर्श पी–02 रिटर्न मीमो पर बैंक की सील नहीं लगी हुई इसलिए उक्त रिटर्न मीमो को चैक प्रदर्श पी–01 के अनादरण का प्रथम दृष्टया सबूत नहीं माना जा सकता।*

24. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उठाए गए उक्त तर्क के संदर्भ में *एन. आई. एक्ट की धारा 146* में दिए गए प्रावधान का उल्लेखक करना समीचिन होगा।

25. एन.आई. एक्ट की धारा 146 में यह प्रावधानित है कि *"The Court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on production of bank’s slip or memo having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonoured, presume the fact of dishonour of such cheque, unless and until such fact is disproved."*

26. इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटर नम्बर RBI/2011-12/121 DPSS.CO.CHD.NO.120/03-06-01/2011-12 दिनांकित 25.07.2011 में सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन्क्लूडिंग आरआरबी / अरबन कॉ–ओपरेटिव बैंक / स्टेट कॉ–ओपरेटिव बैंक्स / डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉ–ओपरेटिव बैंक्स के चैयरमेन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर / चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह डायरेक्शन दी गई थी कि–

> "Banks are, therefore, advised to strictly adhere to the instructions and sign/initial the Cheque Return Memos as laid down in Rule 6 of URRBCH."

27. धारा 146 एन.आई.एक्ट एवं आरबीआई द्वारा दी गई उक्त डायरेक्शन्स के प्रकाश में परिवादी द्वारा प्रदर्शित रिटर्न मीमो प्रदर्श पी–02 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रदर्श पी–02 रिटर्न मीमो पर ऑथराईज्ड सिग्नेटरी के स्थान के उपर इनिशियल अंकित है। इसलिए धारा 146 एन.आई. एक्ट

के प्रावधानों के अनुसार रिटर्न मीमो प्रदर्श पी–02 को चैक प्रदर्श पी–01 के अनादरण का प्रथमदृष्टया सबूत माना जाएगा।

28. अभियुक्त पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह साबित हो कि परिवादी द्वारा प्रदर्शित रिटर्न मीमो प्रदर्श पी–02 फर्जी अथवा कूटरचित हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रदर्श पी–02 रिटर्न मीमो के संदर्भ में लिया गया उक्त तर्क पोषणीय नहीं है।

29. उक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय की विनम्र राय में परिवादी पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि चैक प्रदर्श पी–01 को दिनांक 17.09.2014 को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया था और अभियुक्त के बैंक द्वारा उक्त दिनांक को अभियुक्त के खाते में फण्ड्स इनसफिशियेन्ट होने के कारण चैक प्रदर्श पी–01 को अनादृत कर दिया गया था।

30. इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा कि *परिवादी पक्ष की ओर से प्रेषित विधिक नोटिस अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुआ ।*

31. विधिक नोटिस प्रदर्श पी–03 एवं परिवाद पत्र के अवलोकन से न्यायालय को प्रकट होता है कि विधिक नोटिस प्रदर्श पी–03 एवं परिवाद पर अभियुक्त का पता शिवशक्ति बाड़ी, खोले के हनुमानजी के सामने, दिल्ली रोड, रामगढ़ मोड़, जयपुर अंकित है।

32. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उठाए गए उक्त तर्क के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि **अभियुक्त डी. डब्ल्यू–01 हेमंत कुमार अपनी जिरह** में सशपथ कथन करता है कि मुचलके प्रदर्श पी–06 दिनांकित 12.06.2021, वकलातनामा प्रदर्श पी–07 पर उसका पता खोले के हनुमानजी के सामने, दिल्ली बाईपास, जयपुर

लिखा हुआ है, जो सही है, जिस पर ए से बी उसके साइन हैं। प्रदर्श पी–08 बयान मुल्जिम पर भी उसका पता शिवशक्ति बाड़ी, खोले के हनुमानजी के सामने, दिल्ली रोड, रामगढ़ मोड़, जयपुर लिखा हुआ है जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके साइन हैं।

33. अभियुक्त द्वारा जिरह के दौरान किए गए उपरोक्त कथनों के आधार पर यह न्यायालय पाता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के सही पते पर विधिक नोटिस प्रदर्श पी–03 जरिए रजिस्टर्ड डाक दिनांक 08.10.2014 को भिजवाया गया था, इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 27 की उपधारणा की जाकर यह मान लिया जाएगा कि डिफाल्टर (अभियुक्त) को नोटिस की सेवा हो चुकी है।

34. इसके अलावा यह न्यायालय पाता है कि परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह गिल द्वारा प्रदर्शित पावती रसीद प्रदर्श पी–05 पर नोटिस प्राप्त होने की दिनांक 15.10.2014 अंकित है। अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक से 15 दिवस के अंदर परिवादी को विवादित चैक प्रदर्श पी–01 में वर्णित राशि का भुगतान किया जाना था। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को विवादित चैक की राशि का भुगतान उक्त समयावधि में कर दिया गया था। अभियुक्त द्वारा परिवादी को विवादित चैक की राशि का भुगतान नहीं करने पर परिवादी द्व ारा वाद हेतुक उत्पन्न होने पर विहित अवधि में हस्तगत परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.11.2014 को प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा धारा 138 एवं 142 एन.आई. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ति पूर्णतः की गई है।

अब न्यायालय को यह देखना है कि –

(C) क्या अभियुक्त द्वारा धारा 118 अथवा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का खण्डन किया गया है?

35. धारा 118 एवं 139 एन.आई.एक्ट की उपधारणाएं खण्डनीय उपधारणाएं हैं। एक बार जब न्यायालय द्वारा परिवादी के पक्ष में धारा 118 एवं धारा 139 एन.आई.एक्ट की उपधारणाएं ले ली जाती हैं, तब यह साबित करने का भार

अभियुक्त पर आ जाता है कि विवादित चैक अभियुक्त द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन पेटे परिवादी के पक्ष में जारी नहीं किया गया था अथवा विवादित चैक प्रतिफलार्थ रचित नहीं किया गया था, उक्त उपधारणाओं का खण्डन करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के अलावा, अभियुक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी भरोसा कर सकता है और यदि जिन परिस्थितियों पर अभियुक्त द्वारा भरोसा किया गया है वह बहुत बाध्यकारी (compelling) हैं तो भार पुनः परिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है।

36. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणाओं का खण्डन करने हेतु न्यायालय के समक्ष विभिन्न तर्क उठाए गए, जिन पर एक एक करके चर्चा की जाएगी।

37. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का प्रथम तर्क यह रहा कि *अभियुक्त ने परिवादी दलीप सिंह से साढ़े तीन लाख रुपये उधार नहीं लिए। अभियुक्त ने परिवादी दलीप सिंह को आई 20 कार बेची थी। यह चैक उस कार में से दलीप सिंह ने ले लिया। अभियुक्त ने चैक वापस मांगा तो परिवादी दलीप सिंह ने चैक नहीं दिया गया और चैक भरकर परिवादी ने चैक का दुरुपयोग कर लिया।*

38. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उठाए गए उक्त तर्कों के संदर्भ में पत्रावली में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने पर न्यायालय द्व ारा यह पाया गया कि परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह गिल मुख्य परीक्षा के दौरान परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन करता है कि अभियुक्त ने उससे आपसी जान पहचान होने के कारण 3,50,000 रुपये नकद उधार लिए थे जिसकी अदायगी के लिए अभियुक्त ने एक चैक संख्या 025140, राशि 3,50,000 रुपये, बैंक आई.सी.आई.सी. बैंक, शाखा मानसरोवर, जयपुर दिनांक 15.09.2014 का हस्ताक्षर करके परिवादी के पक्ष में जारी किया था।

39. जिरह के दौरान परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह कथन करता है कि

हेमन्त उसके ऑफिस में आया करता था इसलिए वह उसे जानता है। हेमन्त व हेमन्त के पिताजी दोनों कारखाने चलाते हैं। हेमन्त के पिताजी जयपुर में ही रहते हैं। वह ब्याज पर पैसे देने का काम नहीं करता है। हेमन्त ने उसे चैक सन् 2014 में दिया था तारीख उसे याद नहीं है। उसे चैक देने का दिन, महिना याद नहीं है। वह उधार पैसे देने का काम नहीं करता है, किन्तु उसने हेमन्त को उधार पैसे दिए थे। उसने हेमन्त को सन् 2014 में पैसे दिए थे। पैसे देने का दिन व महीना उसे याद नहीं है। जब उसने हेमन्त को पैसे दिए तब वहां सिर्फ वह और हेमन्त ही थे। उसने पैसे उसके घर के बाहर दिए थे। विवादित चैक प्रदर्श पी–01 उसे हेमन्त ने ही दिया था। हेमन्त ने चैक उस दिन दिया था जिस दिन उसने उसे पैसे दिए थे। प्रदर्श पी–01 विवादित चैक में मार्क ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच व आई से जे में उपयोग में ली गई स्याही अलग अलग हो उसे नहीं लगता है। प्रदर्श पी–01 पर लिखी संपूर्ण इबारत एक ही व्यक्ति की लिखी हुई लगती है। जब अभियुक्त ने उसे चैक दिया तब चैक भरा हुआ था और हस्ताक्षर उसके सामने किए थे। बैंक में चैक लगाने के लगभग छ :–सात महीने पहले वह अभियुक्त से मिला था। परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह जिरह के दौरान इस सुझाव को गलत बताता है कि मुल्जिम ने खाली पर हस्ताक्षर किए हो और बकाया इबारत बाद में भरी हो। उसके दोस्त की ट्रेवल्स कम्पनी है जिस पर हेमन्त आया करता था वही से उसकी जानकारी हेमन्त के साथ हुई थी। उसके उस दोस्त का नाम देवेन्द्र सिंह शेखावत है। देवेन्द्र हेमन्त से बसों का काम करवाते रहते थे। देवेन्द्र ने हेमन्त को पैसे दे रखे हो तो उसे पता नहीं है। उसने हेमन्त को पैसे देवेन्द्र के कहने से नहीं दिए थे। देवेन्द्र के सामने हेमन्त के पैसों को लेकर कभी कभार बात हुई थी। देवेन्द्र से पैसे देने के बाद बात हुई थी। वह मुल्जिम से बहुत बार मिला है। उसकी देवेन्द्र के सामने अभियुक्त से रुपये को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। उसने अभियुक्त को छह–सात माह के लिए रुपये उधार दिए थे। उसकी कोई लिखा–पढ़ी नहीं हुई। विवादित चैक में वर्णित राशि के अलावा उसका अभियुक्त से गाड़ी का लेनदेन हुआ था, उसने अभियुक्त से गाड़ी खरीदी थी। उसने अभियुक्त से गाड़ी किस तारीख, माह व सन् को खरीदी थी उसे याद नहीं है। उसने अभियुक्त से 6 लाख रुपये में गाड़ी खरीदी थी। परिवादी पी.डब्ल्यू–01 जिरह के दौरान इस सुझाव को गलत बताता है कि उसने अभियुक्त को राशि उधार नहीं दी

हो और गाड़ी खरीदते समय उसने अभियुक्त के चैक का दुरुपयोग किया हो।

40ण्दूसरी ओर अभियुक्त डी.डब्ल्यू–01 हेमन्त कुमार मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दलीप सिंह को जानता है। दलीप सिंह उसके पिता के पास आता था। दलीप सिंह से उसने कोई राशि नहीं ली। दलीप सिंह ने उसके चैक का दुरुपयोग किया है। दलीप सिंह ने उसके उपर झूठा मुकदमा किया है।

41. जिरह के दौरान अभियुक्त डी.डब्ल्यू–01 हेमन्त कुमार कथन करता है कि चैक प्रदर्श पी–01 उसका ही है, आगे डी.डब्ल्यू–01 स्वयं कथन करता है कि यह भरा हुआ उसका नहीं है। दलीप सिंह ने प्रकरण में प्रस्तुत चैक प्रदर्श पी–01 का दुरुपयोग किया है, लेकिन उसने थाने में कोई कार्यवाही नहीं की है, फिर डी.डब्ल्यू–01 स्वयं कथन करता है कि उसे इस केस की सूचना नहीं थी। इस केस की सूचना उसके पास कोर्ट से वारंट आने के बाद लगी थी। डी.डब्ल्यू–01 परिवादी के अधिवक्ता के इस सुझाव को सही बताता है कि केस की सूचना के बाद भी उसने कोई रिपोर्ट या कार्यवाही नहीं की। उसने परिवादी को गाड़ी नहीं बेची, उसके बयान मुल्जिम दिनांक 26.11.2025 को दलीप सिंह को गाड़ी बेचने की बात लिखवाई थी वह गलत लिखवाई थी। दलीप सिंह पहले से इसका परिचित था। अभियुक्त डी.डब्ल्यू–01 परिवादी के अधिवक्ता को इस सुझाव गलत बताता है कि उसने परिवादी को अपना चैक दिया हो।

42. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के तुलनात्मक विवेचन से इस न्यायालय को यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य विवादित नहीं है कि अभियुक्त परिवादी का जानकार है। इसके अलावा परिवादी पी0डब्ल्यू–01 दलीप सिंह द्वारा जिरह के दौरान यह सशपथ कथन किए गए हैं कि उसने हेमन्त को उधार पैसे दिए थे। उसने हेमन्त को सन् 2014 में पैसे दिए थे। पैसे देने का दिन व महीना उसे याद नहीं है। जब उसने हेमन्त को पैसे दिए तब वहां सिर्फ वह और हेमन्त ही थे। उसने पैसे उसके घर के बाहर दिए थे। विवादित चैक प्रदर्श पी–01 उसे हेमन्त ने ही दिया था। हेमन्त ने चैक उस दिन दिया था जिस दिन उसने उसे पैसे दिए थे।

43. दूसरी ओर अभियुक्त हेमन्त कुमार अपने बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में यह कथन करता है कि विवादित चैक उसका ही है, चैक पर सिग्नेचर नहीं है। उसने परिवादी से 3,50,000 रुपये उधार नहीं लिए। उसने दलीप सिंह गिल को अपनी आई–20 कार बेची थी; यह चैक उस कार में था; दलीप सिंह ने कार से चैक ले लिया; उसने वापिस मांगा नहीं दिया; फिर चैक में सिग्नेचर्स फर्जी करके, चैक भरकर लगा दियाा।

44. यह स्थापित विधिक स्थिति है कि " Statement of an accused u/s 313 CrPC is not recorded after administering oath to the accused. It cannot therefore, be treated as an evidence u/s 3 of the Evidence Act."

45. उल्लेखनीय है कि अभियुक्त डी.डब्ल्यू–01 हेमन्त कुमार द्वारा अपने सशपथ बयानों में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उसका चैक प्रदर्श पी–01 परिवादी के आधिपत्य में किस प्रकार पहुंचा। जिरह के दौरान अभियुक्त डी.डब्ल्यू–01 हेमन्त कुमार द्वारा स्पष्ट कथन किया गया कि उसने परिवादी दलीप सिंह को गाड़ी नहीं बेची; उसके द्वारा बयान मुल्जिम में परिवादी दलीप सिंह को गाड़ी बेचने की बात लिखवाई गई थी, वह गलत लिखवाई गई थी।

46. यद्यपि परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह जिरह के दौरान इस बात को स्वीकार करता है कि उसने अभियुक्त से 6,00,000 रुपये में गाड़ी खरीदी थी, परन्तु अभियुक्त पक्ष द्वारा जिरह के दौरान परिवादी पी.डब्ल्यू–01 को इस बाबत कोई सुझाव नहीं दिया गया कि विवादित चैक प्रदर्श पी–01 उस गाड़ी में था और परिवादी ने उस गाड़ी में चैक लेकर चैक का दुरुपयोग कर लिया। परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह के मात्र यह कथन करने से कि उसने अभियुक्त से गाड़ी खरीदी थी, यह सिद्ध नहीं हो जाता कि अभियुक्त का चैक प्रदर्श पी–01 उस गाड़ी में था और परिवादी ने गाड़ी में से चैक निकालकर चैक का दुरुपयोग कर लिया।

47. इसके अतिरिक्त पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से न्यायालय को प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45, 73 साक्ष्य अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में अभियुक्त का यह कथन रहा था कि अभियुक्त ने परिवादी से डेढ़ लाख रुपये की राशि उधार ली थी जिसके पेटे उक्त विवादित चैक मात्र हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया गया था।

48. इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा विरोधाभासी कथन किए गए हैं एक और अभियुक्त यह कथन करता है कि उसने परिवादी से डेढ़ लाख रुपये की राशि उधार ली थी जिसके पेटे उक्त विवादित चैक मात्र हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया गया था। दूसरी ओर बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में कथन करता है कि उसके द्वारा परिवादी को गाड़ी बेची गई थी; विवादित चैक प्रदर्श पी–01 गाड़ी में था; परिवादी ने गाड़ी से निकालकर चैक का दुरुपयोग कर लिया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय पाता है कि अभियुक्त अपने उक्त कथनों को, उसकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिवादी से की गई जिरह के आधार पर, साबित करने में असफल रहा है। इसलिए, अभियुक्त द्व ारा किए गए उक्त दोनों कथन न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं करते। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क कि *अभियुक्त ने परिवादी से राशि उधार नहीं ली थी; परिवादी ने अभियुक्त की गाड़ी में से अभियुक्त का चैक निकालकर उसका दुरुपयोग किया है, पोषणीय नहीं है।*

49. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का अन्य तर्क रहा है *कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को उधार दी गई कथित राशि इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखा रखी इसलिए कथित ऋण कानूनन वसूली योग्य नहीं है।*

50. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त तर्क के संदर्भ में **परिवादी पी. डब्ल्यू–01 की जिरह** का अवलोकन करने पर न्यायालय द्वारा पाया गया कि पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह जिरह में कथन करता है कि वह उधार देने का काम नहीं करता, किंतु हेमन्त को उधार रुपये दिए थे। हेमन्त को सन् 2014 में पैसे

दिए थे। उसने आज तक पांच छह लोगों को उधार पैसे दिए हैं। उसने जिन लोगों को उधार पैसे दे रखे हैं उन्हें इनकम टैक्स में नहीं दिखा रखा।

51. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा लिए गए उक्त तर्क के संदर्भ में *उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त Sanjabij Tari vs Kishore S.Borcar on 25 September, 2025, CRIMINAL APPEAL NO. 1755 OF 2010 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी कि –*

> 19. Recently, the Kerala High Court in P.C. Hari vs. Shine Varghese & Anr., 2025 SCC OnLine Ker 5535 has taken the view that a debt created by a cash transaction above Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand) in violation of the provisions of Section 269SS of the Income Tax Act, 1961 (for short 'IT Act, 1961') is not a 'legally enforceable debt' unless there is a valid explanation for the same, meaning thereby that the presumption under Section 139 of the Act will not be attracted in cash transactions above Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand).
>
> *20. However, this Court is of the view that any breach of Section 269SS of the IT Act, 1961 is subject to a penalty only under Section 271D of the IT Act, 1961. Further neither Section 269SS nor 271D of the IT Act, 1961 state that any transaction in breach thereof will be illegal, invalid or statutorily void. Therefore, any violation of Section 269SS would not render the transaction unenforceable under Section 138 of the NI Act or rebut the presumptions under Sections 118 and 139 of the NI Act because such a person, assuming him/her to be the payee/holder in due course, is liable to be visited by a penalty only as prescribed. Consequently, the view that any transaction above Rs.20,000/- (Rupees Twenty Thousand) is illegal and void and therefore does not fall within the definition of 'legally enforceable debt' cannot be countenanced. Accordingly, the conclusion of law in P.C. Hari (supra) is set aside.*

52. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में यह न्यायालय पाता है कि इनकम टैक्स एक्ट के उक्त वर्णित प्रावधान का उल्लंघन धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत लेन देन को अप्रवर्तनीय नहीं बनाएगा

और ना ही उक्त वर्णित प्रावधान के उल्लंघन से धारा 118 एवं 139 एन. आई. एक्ट के तहत परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणाओं का खण्डन होगा। इस प्रकार उपरोक्तानुसार, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उठाया गया तर्क कि *परिवादी द्वारा अभियुक्त को उधार दी गई कथित राशि इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखा रखी इसलिए कथित ऋण कानूनन वसूली योग्य नहीं है* , पोषणीय नहीं है।

53. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के अन्य तर्क ये रहे हैं कि *परिवादी की अभियुक्त को साढ़े तीन लाख रुपये उधार देने की वित्तीय क्षमता हो, यह साबित करने हेतु परिवादी ने कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, परिवादी को कथित राशि अभियुक्त को उधार देने की दिनांक मालूम नहीं है, जो भी परिवादी के मामले के लिए घातक है।*

54. विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उक्त तर्कों के संदर्भ में पी.डब्ल्यू–01 की साक्ष्य का अवलोकन करने पर न्यायालय को प्रकट होता है कि **जिरह के दौरान पी.डब्ल्यू–01 परिवादी दलीप सिंह** कथन करता है कि हेमन्त को सन् 2014 में रुपये दिए थे, पैसे देने का दिन और महीना मुझे याद नहीं है। जब उसने हेमन्त को पैसे दिए थे तब वो और हेमन्त ही थे। उसने पैसे अपने घर के बाहर दिए थे। विवादित चैक प्रदर्श पी–01 उसे हेमन्त ने ही दिया था। हेमन्त ने चैक उस दिन दे दिया था जिस दिन उसे पैसे दे दिए थे। उसकी जोइंट फैमिली है जिसकी सालाना इनकम 20–30 लाख रुपये है। उसका शामिलात में डेयरी, दारू के ठेके और ट्रेवल बुकिंग का काम है जो भी आय होती है संयुक्त परिवार में ही रखते हैं। यह कहना सही है कि उसकी व उसकी फैमिली की आय 20–30 लाख रुपये हो इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह द्वारा इस बात को गलत बताया गया है कि संयुक्त परिवार की आय 20–30 लाख रुपये नहीं हो इसलिए दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किए हैं।

55. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Tedhi Singh vs Narayan Dass Mahant, 2022 Live Law (SC) 275 में यह टिप्पणी की गई थी कि–

9. The Trial Court and the First Appellate Court have noted that in the case under Section 138 of the N. I. Act the complainant need not show in the first instance that he had the capacity. The proceedings under मबजपवद 138 of the N. I. Act is not a civil suit. At the time, when the complainant gives his evidence, unless a case is set up in the reply notice to the statutory notice sent, that the complainant did not have the wherewithal, it cannot be expected of the complainant to initially lead evidence to show that he had the financial capacity. To that extent the Courts in our view were right in holding on those lines. However, the accused has the right to demonstrate that the complainant in a particular case did not have the capacity and therefore, the case of the accused is acceptable which he can do by producing independent materials, namely, by examining his witnesses and producing documents. It is also open to him to establish the very same aspect by pointing to the materials produced by the complainant himself. He can further, more importantly, achieve this result through the cross examination of the witnesses of the complainant. Ultimately, it becomes the duty of the Courts to consider carefully and appreciate the totality of the evidence and then come to a conclusion whether in the given case, the accused has shown that the case of the complainant is in peril for the reason that the accused has established a probable defence.

56. परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह गिल के उपरोक्त कथनों के विवेचन से न्यायालय को प्रकट होता है कि परिवादी पी.डब्ल्यू–01 दलीप सिंह द्वारा अपनी जिरह के दौरान उसकी जोइंट फैमिली की सालाना आय 20–30 लाख रुपये होने बाबत स्पष्ट कथन किए हैं। दूसरी ओर न्यायालय के समक्ष

अपने सशपथ बयानों में अभियुक्त डी.डब्ल्यू–01 द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि यदि उसके द्वारा परिवादी से विवादित ऋण उधार नहीं लिया गया था तो उसका चैक प्रदर्श पी–01 परिवादी के पास कैसे पहुंचा। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के उपरोक्त किए गए विवेचन से न्यायालय द्वारा यह भी पाया गया कि परिवादी की ओर से प्रेषित विधिक नोटिस प्रदर्श पी–03 अभियुक्त को प्राप्त हो गया था उक्त विधिक नोटिस का कोई जवाब अभियुक्त द्वारा दिया गया हो, ऐसा भी कोई तथ्य अभियुक्त द्वारा नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार यह न्यायालय पाता है कि अभियुक्त पक्ष परिवादी की अभियुक्त को 3,50,000 रुपये की वित्तीय क्षमता को चुनौती देने में असफल रहा है।

57. चूंकि अभियुक्त यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके द्वारा विवादित चैक प्रदर्श पी–01 परिवादी को विवादित राशि के भुगतान पेटे नहीं दिया गया था, इसलिए महज परिवादी को विवादित ऋण उधार देने की दिनांक याद नहीं होना, परिवादी के मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा, *परिवादी की वित्तीय क्षमता बाबत एवं परिवादी को कथित राशि अभियुक्त को उधार देने की दिनांक मालूम नहीं होने बाबत*, लिए गए उक्त तर्क न्यायालय को पोषणीय प्रतीत नहीं होते।

58. इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विचार विमर्श यह न्यायालय पाता है कि अभियुक्त यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके द्वारा परिवादी दलीप सिंह गिल से चैक प्रदर्श पी–01 में वर्णित राशि उधार नहीं ली गई थी ; प्रदर्श पी–01 चैक का दुरुपयोग किया गया है। अतः परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणाओं का खण्डन करने में अभियुक्त असफल रहा है। अतः अभियुक्त हेमंत कुमार को धारा 138 एनआई एक्ट में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– <u>आदेश</u> –

59. अतः अभियुक्त हेमंत कुमार पुत्र श्री रामजीलाल निवासी शिव शक्ति बाड़ी,

खोले के हनुमान जी के सामने, दिल्ली रोड, रामगढ़ मोड़, जयपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 Negotiable Instruments Act, 1881 में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(तेजकिरन कौर चावला)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन. आई. एक्ट प्रकरण), क्रम–05
जयपुर महानगर–द्वितीय

– सजा के बिन्दु पर सुनवाई –

60. उभय पक्ष को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। जिसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने यह निवेदन किया कि इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध सोच समझकर कारित किया गया अपराध है। लिहाजा ऐसे प्रकरणों में यदि अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया तो इससे इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि होगी। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड दिया जावे।

61. उभय पक्ष की बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। यह सही है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से यह अपराध अभियुक्त का प्रथम अपराध होना जाहिर होता है, परन्तु न्यायालय का यह मत है कि इस प्रकार के चैक अनादरण के मामले में न्यायालय द्वारा नरमी का रूख अपनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि होगी। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों व इस प्रकार के मामलों की तीव्र गति से वृद्धि को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा हेमंत कुमार द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे आरोपित अपराध में निम्न प्रकार से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–दण्डादेश–

62. फलस्वरूप, अभियुक्त हेमंत कुमार पुत्र श्री रामजीलाल निवासी शिव शक्ति बाड़ी, खोले के हनुमान जी के सामने, दिल्ली रोड, रामगढ़ मोड़, जयपुर को धारा 138 Negotiable Instruments Act, 1881 के आरोपित अपराध के तहत् दोषी पाये जाने पर **आठ माह के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है। साथ ही धारा 357(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त **4,50,000/– रुपये (चार लाख पचास हजार रुपये) बतौर प्रतिकर** भी परिवादी को अदा करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **R. Mohan vs. A.K. Vijaya Kumar (Criminal Appeal No. 883 of 2012, decided on 03.07.2012)** के प्रकाश में यह आदेश भी दिया जाता है कि **अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त को बीस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास** भुगतना होगा।

63. अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान यदि पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि व्यतीत की गई है, तो वह अवधि नियमानुसार अभियुक्त को दी गई मूल सजा में समायोजित की जाए। तद्नुसार अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जाए। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जाए।

64. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तेजकिरन कौर चावला)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन. आई. एक्ट प्रकरण), क्रम–05
जयपुर महानगर–द्वितीय